न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 25/2016

चम्पालाल बनाम महेन्द्र कुमार

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी., धारा 151 सी.पी.सी.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता — अप्रार्थी सं.1–2

–:: आदेश ::– दिनांक :– 13.04.2018

प्रतिवादी महेन्द्र कुमार द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) सी. पी.सी. धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 27.11.2017 को पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता–ससुर के नाम से वाके चक 4 जैड के मु.नं. 37 के किला नं. 3, 4, 5 की 3 बीघा, मु.नं.37 के किला नं. 3, 4, 5 कुल 3 बीघा में प्लॉट का ईकरारनामा दिनांक 25.03.2009 को 5,00000/– रूपये अखरे पांच लाख रूपये में किया गया है। प्लॉटों के सम्बन्ध में अप्रार्थी ने स्थाई निषेधाज्ञा एक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। वाद पत्र स्पष्ट रूप से कृषि भूमि के प्लाटों के ईकरारनामा दिनांक 25.03.2009 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। ईकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय को सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होने से वाद पत्र विधि द्वारा बाधित होने से निरस्ती योग्य है। विधि का सुस्थापिता सिद्धांत भी यही है कि ईकरारनामा के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणात्मक का वाद केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए वाद पत्र निरस्ती किये जाने योग्य है।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. धारा 151 सी. पी.सी. का जवाब पेश न कर बहस सुने जाने का निवेदन किया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि वाद पत्र कृषि भूमि के प्लाटों के ईकरारनामा दिनांक 25.03.2009 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। ईकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय को सुनवाई हेतु क्षेत्राधिकार नहीं है। ईकरारनामा के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणात्मक का वाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 13.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर